न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

क्रमांक :– रीडर/2024/709 दिनांक 28.08.2024

प्रेषिति :– तहसीलदार (भू.अ.)
टिब्बी।

विषय – प्रकरण संख्या 099/2024 चन्दूराम बनाम भादरराम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थी चन्दूराम पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करने पर प्रकरण में दिनांक 27.08.2024 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 14 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 204/260(8) किला नम्बर 5 में 0.016 हैक्टर किला नम्बर 6/1 में 0.003 हैक्टर, चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 204/259(32) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला में 0.016 हैक्टर पूर्वी दिशा, उतर से दक्षिण में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी संख्या 3 उसतत सिह को अप्रार्थी संख्या 2 हरचन्द चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 205/259(33) किला नम्बर 11 व 12 मे उतरी दिशा की तरफ प्रत्येक किला में .0.0115 हैक्टर यानि कुल 0.023 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 3 उसततसिह के नाम तथा अप्रार्थी संख्या 2 हरचन्द को अप्रार्थी संख्या 1 भादरराम चक नम्बर 10 एन.जी सी. पत्थर नम्बर 205/259(33) किला नम्बर 9 व 10 में से दक्षिणी दिशा की तरफ प्रत्येक किला में से 5 फुट यानि प्रत्येक किला में 0.008 हैक्टर कुल 0.016 हैक्टर आराजी हरचन्द के नाम व अप्रार्थी संख्या 1 भादरराम को रास्ता की भूमि के बदले में चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 205/259(33) किला नम्बर 1/1/0.228, 2/1/0.228 हैक्टर में से दक्षिणी दिशा में प्रत्येक किला में 0.006 हैक्टर कुल 0.012 हैक्टर आराजी भादरराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के खाता संख्या 112/108 में से सभी सहकाश्तकारान का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner